संख्या: 701(1)/XXIV-3/2006/1(18)/06

प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार
नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 29 दिसम्बर, 2006

विषयः श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, पौड़ी को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, पौड़ी को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरॉचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरॉचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

G. S. RANA
Authorised Signatory
Manager, SGRR Education Mission
Dehra Dun (Uttarakhand)

R.P. DHONDIYAL
PRINCIPAL
Shri Guru Ram Rai Public School
Pauri Garhwal UK

8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

10— सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एक वर्ष में निम्नलिखित कमियों का निस्तारण कर दिया जाय:—

1— संस्था के दो कि0मी0 की परिधि में एक परिषद विद्यालय, चार जूनियर हाईस्कूल, एक बालिका इण्टर कॉलेज, तीन इण्टर कॉलेज संचालित किये जा रहे हैं। जॉच आख्या अनुसार निकटवर्ती विद्यालयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2— विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य सहित, एक सहायक अध्यापक [illegible] ([illegible]) कार्यरत है परन्तु विवरण संलग्न नहीं किया गया है।

3— विद्यालय में [illegible] कक्षा कक्षों, प्रयोगशाला, [illegible] कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं शौचालय (बालक-बालिका) अलग अलग [illegible] नहीं है।

4— विज्ञान प्रयोगशाला [illegible] नहीं है। विद्यालय में एक ही प्रयोगशाला होने के कारण सुसज्जित नहीं है। तीन विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है।

5— विद्यालय के पास भूमि न होने से खेल मैदान उपलब्ध नहीं है।

6— विद्यालय में [illegible] छात्राओं से [illegible] शुल्क के सम्बन्ध में संस्था [illegible] सचेत किया जाता है कि संस्था नियमानुसार निर्धारित शुल्क ही लें।

2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रभात कुमार [illegible])
सचिव

<u>संख्या: [illegible] (1)/XXIV-3/2006 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरॉचल, देहरादून।

[illegible]
Authorised Signatory
Manager, [illegible] Education Mission
Dehra Dun (Uttarakhand)

R.P. DHONDIYAL
PRINCIPAL
Shri Guru Ram Rai Public School
Pauri Garhwal UK

2— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
4— प्रधानाचार्य, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, पौड़ी गढ़वाल।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

R.P. DHONDIYAL
PRINCIPAL
Shri Guru Ram Rai Public School
Pauri Garhwal UK

G. S. RANA
Authorised Signatory
Chairman, SGRR Education Mission
Dehra Dun (Uttarakhand)